



जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन-सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

सतर्कता जांच अभियान में बिजली चोरी के 105 मामले पकड़े 2 करोड़ रुपए के राजस्व का निर्धारण

जयपुर 19 सितम्बर। बिजली चोरी पकड़ने के लिए जयपुर डिस्कॉम की सतर्कता शाखा द्वारा शनिवार 17 सितम्बर को अलवर वृत्त में चलाये गए जांच अभियान के दौरान बिजली चोरी के 105 मामले पकड़े हैं। इन मामलों में से 10 मामले मीटर टेम्परिंग के पाए गए हैं। सभी प्रकरणों में लगभग 2 करोड़ रुपए के राजस्व का निर्धारण किया गया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर डिस्कॉम श्रीमती सरिता बडगूजर ने बताया कि अलवर वृत्त में मुण्डावर, नीमराना, मांडन, बानसूर व बहरोड़ क्षेत्रों में बिजली चोरी पकड़ने के लिए शनिवार 17 सितम्बर, 2016 को जयपुर, अलवर एवं दौसा वृत्त के 9 विद्युत चोरी निरोधक दस्तों (एटीवीएस) एवं पवस की 3 टीमों द्वारा संयुक्त रूप से एक विशेष सतर्कता जांच अभियान चलाया गया।

उन्होंने बताया कि सभी मामलों में मौके पर ही सतर्कता जांच प्रतिवेदन तैयार किये जाकर दोषियों के विरुद्ध संबंधित विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाने की कार्यवाही की जा रही है। मीटर से छेड़छाड़ (meter tampering) के प्रकरणों में यदि किसी निगमकर्मी की संलिप्तता भी पायी जाती है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

जयपुर डिस्कॉम के सतर्कता जांच दस्तों द्वारा चलाए गए जांच अभियान के दौरान गत दिनों 37 अवैद्य ट्रांसफार्मर भी जब्त किए गए हैं। इन ट्रांसफार्मरों से वृहत स्तर पर बिजली चोरी की जा रही थी। इनके अन्तर्गत धौलपुर जिले के बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा व सेंपउ उपखण्ड के विभिन्न गावों में 20 अवैद्य ट्रांसफार्मर जब्त किए हैं इसके अतिरिक्त जयपुर जिला वृत्त के पावटा उपखण्ड में 6 व बारां जिले में 11 अवैद्य ट्रांसफार्मर पकड़े गए हैं। धौलपुर में पकड़े गए प्रकरणों में 6 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अन्य प्रकरणों में भी एफआईआर दर्ज करवाने की कार्यवाही की जा रही है।